रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2011/माघ 13, 1932

No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011/MAGHA 13, 1932

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2011

का.आ. 234(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री डी. सी. सरकार और श्री श्यामल कुमार घोष, अधिवक्ताओं को, एतद्द्वारा, क्रमशः, विशेष लोक अभियोजक और लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2011

S.O. 234(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri D. C. Sarkar and Shri Shyamal Kumar Ghosh, Advocates as Special Public Prosecutor and Public Prosecutor, respectively, for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of West Bengal.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933
No. 2117] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

का.आ. 2531(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा शुरू किए गए मामलों को संचालित करने के लिए पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपीलीय न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री बिस्व रंजन घोषाल, अधिवक्ता को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ता/रिटेनर काउंसेल श्री संजय बर्धन, अधिवक्ता को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में कनिष्ठ एवं विशेष अधिवक्ता तथा श्री गौतम नारायण, अधिवक्ता को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI]

धमेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2011

S.O. 2531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Biswa Ranjan Ghosal, Advocate as Standing Counsel/Retainer Counsel, at Calcutta High Court, Shri Sanjay Bardhan, Advocate as Junior and Special Counsel, at Calcutta High Court, Shri Gautam Narayan, Advocate as Special Public Prosecutor at Delhi High Court for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial Courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate Courts established by law in the territory of the States of West Bengal and Delhi.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

4114 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 951(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिलीगुड़ी के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में होगा ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धमेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 951(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Seniormost Additional District and Sessions Judge at Siliguri as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar of the State West Bengal.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 952(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कलकत्ता के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के शेष जिलों (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के अलावा) में होगा ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धमेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 952(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend the rest of the Districts (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar) of the State West Bengal.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of Calcutta has recommended the name of Sri Asoke Kumar Mondal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta to preside over the said Special Court, Calcutta;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Asoke Kumar Mondal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1591(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 952(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों तक था;

और जबकि, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री अशोक कुमार मंडल, मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार मंडल, मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1591(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction in the districts, except of the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar, of the State West Bengal, vide notification number S. O. 952 (E), dated the 29th April, 2011;